स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा पेंशनों को विनियमित करने के सम्बन्ध में

नियमावली

		यह योजना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने आजादी की लड़ाई में भाग लेने के फलस्वरूप कारावास का दंड या अन्य यातनायें सही हों, को सम्मानित करने के उद्देश्य से बनायी गयी है और इसके अन्तर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों को स्वतंत्रता संग्राम पेंशन तथा अनावर्तक अनुदान दिये जायेंगे। योजना का कार्यान्वयन निम्नलिखित नियमावली में दिये गये नियमानुसार किया जायेगा :–
		नियमावली
	1–	(1) इस नियमावली का नाम **"उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके परिवारों को दिये जाने वाले अनुदान तथा स्वतंत्रता संग्राम पेंशन सम्बन्धी नियम"** होगा। (2) यह नियमावली दिनांक 06 अगस्त, 1975 से लागू होगी।
परिभाषायें	2–	इन नियमों में जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यता अपेक्षित न हो, **क– "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे अधिवासी व्यक्ति से है जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो और जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो मास की अवधि के लिए कारावास का दंड भोगा गया हो, या जिसे नजरबंदी या अन्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन मास की अवधि के लिए रखा गया हो, या जिसने कम से कम 10 बेतों की सजा पायी हो या जो फरार घोषित किया गया हो, या उक्त स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो, या जिसने वीरगति प्राप्त की है। **टिप्पणी :–** (1) निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की उक्त परिभाषा में सम्मिलित माने जायेंगे :–

		(क) ऐसे व्यक्ति जो पेशावर कांड में रहे हों, (ख) ऐसे व्यक्ति जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक अथवा भूतपूर्व इण्डिया इन्डिपेन्डेन्स लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों, (ग) उत्तर प्रदेश की ऐसी महिलायें, जो विवाह अथवा अन्य कारणों से उत्तर प्रदेश के बाहर रह रही हैं, पर जिन्होंने उक्त परिभाषा में दी हुई किसी यातना को भोगा हो, (घ) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें गांधी इरविन पैक्ट, 1931 अथवा स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में चलाये गये किसी आन्दोलन में केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय सरकार के सामान्य अथवा विशिष्ट रिहाई के आदेशों के फलस्वरूप, सजा पूर्ण होने से पूर्व ही छोड़ दिया गया हो, बशर्ते उनकी दंडादेश की अवधि दो माह से कम न रही हो, (ड.) ऐसे व्यक्ति, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप अपनी सैनिक, असैनिक अथवा पुलिस की नौकरी से हटा दिया गया हो, (च) ऐसे व्यक्ति, जो 1914 के कामागाटा मारू के मामले से सम्बन्धित रहे हों, (छ) ऐसे व्यक्ति, जो 1912 की गदर पार्टी से सम्बन्धित रहे हों, (ज) ऐसे व्यक्ति, जिनकी चल अथवा अचल सम्पत्ति स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के फलस्वरूप केन्द्रीय अथवा प्रदेशीय सरकार द्वारा जब्त कर ली गयी हो अथवा कुर्क होने के बाद वापस न की गयी हो, (झ) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने भारत की तत्कालीन देशी रियासतों में ब्रिटिश शासन काल के दौरान या 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् उनके भारतीय संघ में विलय होने तक, उक्त देशी रियासतों के प्रशासनिक सुधार या नागरिक स्वतंत्रता के लिये या 15 अगस्त, 1947 के पश्चात उनके भारतीय संघ में विलयन के लिये आन्दोलनों में भाग लिया हो, बशर्ते उन्होंने इस सम्बन्ध में उक्त परिभाषा में दी गयी यातनाओं में से कोई भी एक यातना भोगी हो,

(ञ) "ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने भारत में होने वाले फ्रांसीसी अथवा पुर्तगाली उपनिवेशों के स्वतंत्रता संग्राम में उस अवधि के दौरान भाग लिया हो जब तक कि उनका भारतीय संघ में विलयन न हो गया हो।

(2) सामान्य छूट (रेमीशन) की अवधि को वास्तविक सजा का भाग ही माना जायेगा।

(3) जिन मुकदमों में अन्ततः सजा हुई हो उन मामलों में विचारण (अण्डर ट्रायल) अवधि को काटी गयी वास्तविक सजा की अवधि के साथ सम्मिलित कर दिया जायेगा।

(4) सजा की अलग–अलग अवधियों को जोड़ दिया जायेगा और उन्हें एक सजा गिना जायेगा।

(5) जो व्यक्ति अलग–अलग थोड़ी–थोड़ी अवधि के लिए नजरबन्दी या विचाराधीन बन्दी (अण्डर ट्रायल) के रूप में जेल में रहे हों, वे भी उक्त परिभाषा में सम्मिलित माने जायेंगे, बशर्ते उनकी जेल में रहने की कुल अवधि तीन माह या उससे अधिक की हो।

(6) निम्नलिखित श्रेणी में आने वाले व्यक्ति उक्त परिभाषा में सम्मिलित नहीं मानें जायेंगे :–

(क) ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने माफी मांग ली हो (पैरोल पर छूटने को माफी मांगना नहीं माना जायेगा),

(ख) ऐसे व्यक्ति, जिनको स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात गम्भीर नैतिक अपराध जैसे काला बाजारी, तस्करी, अपहरण हिंसात्मक अथवा अन्य असामाजिक कार्यवाही, जैसे अवैध मुनाफाखोरी, जखीरेबाजी या समाज–विरोधी या राष्ट्र–विरोधी आरोपों पर न्यायालय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी द्वारा सजा दी गयी हो, या सेवा से हटाया गया हो,

(ग) ऐसे व्यक्ति, जिनके सम्बन्ध में स्वतंत्रता प्राप्त होने के पश्चात् देश की प्रभुसत्ता एवं अखंडता के विरूद्ध विचार व्यक्त करने की सूचना हो,

(घ) ऐसे व्यक्ति जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को देय पेंशन, अनुदान या अन्य सुविधायें प्राप्त करने हेतु अपनी पात्रता स्थापित करने के हित में, या किसी और व्यक्ति की पात्रता स्थापित करने के हित में कोई असत्य विवरण या सूचना प्रस्तुत की हो या प्रमाण–पत्र दिया हो।

ख– "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी" या उसके परिवार को स्वीकृत किये जाने वाले अनुदान के उद्देश्य के लिए **"परिवार"** का तात्पर्य उसकी पत्नी या विधवा, अविवाहित पुत्री या उस पर आश्रित माता–पिता, आश्रित विधवा पुत्र–वधू, अवयस्क पुत्र, आश्रित बहन तथा आश्रित पोता–पोती जिसके पिता जीवित न हों, से है।

स्पष्टीकरण -- जिन व्यक्तियों को तथा उनके परिवार के सदस्यों को इस नियमावली के लागू होने के पूर्व राजनैतिक पेंशन राज्य शासन द्वारा स्वीकृत की गयी है वे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुदान के पात्र माने जायेंगे।

ग-- **"सरकार"** का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

घ-- **"अनुदान"** का तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या उसके परिवार के सदस्य को स्वीकृत किये जाने वाले रूपये 2,000/-- (रूपये दो हजार) से अनधिक एक मुश्त अनुदान से है जो कुल मिलाकर एक वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित में से किसी एक प्रयोजन या सब प्रयोजनों हेतु गुणावगुण को तथा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही स्वतंत्रता संग्राम पेंशन से सम्बन्धित विभाग के मंत्री जी के विवेक पर स्वीकृत किया जा सकता है :–

(1) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्रियों या आश्रित बहनों, के विवाह के लिये।

(2) उक्त सेनानी की अपनी या परिवार के किसी सदस्य की चिकित्सा के लिये।

(3) किसी विपत्ति या असाधारण कठिनाई को दूर करने के लिये।

(4) स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की सन्तानों की शिक्षा के लिये, इस प्रतिबन्ध के साथ कि उसी उद्देश्य के लिये उन्हें किसी और शासकीय स्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त न हो।

स्पष्टीकरण–नियम 2(घ) 4 के प्रयोजन के लिये वे व्यस्क पुत्र भी आश्रितों में सम्मिलित माने जायेंगे जो स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों प्राविधिक तथा अप्राविधिक इंस्टीट्यूटों में अनुसंधान व अन्वेषण हेतु नियम अनुसार भर्ती होकर पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं पर प्रतिबन्ध यह होगा कि उक्त

		उद्देश्य के लिये उन्हें किसी शासकीय स्रोत से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त न होती हो। अध्ययन अनुसंधान एवं अन्वेषण हेतु केवल एक विषय में ही अनुदान दिया जा सकेगा और यदि प्रार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उस दशा अनुदान नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति सेवा में रह कर अथवा अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करके पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हों उन्हें भी यह अनुदान देय न होगा। ड.– "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पेंशन" का तात्पर्य 60 रूपये प्रतिमास की न्यूनतम तथा 100 रूपये प्रतिमास की अधिकतम सीमाओं के अन्दर रहते हुए ऐसी धनराशि से है जो किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इन नियमों के अधीन स्वीकृत की जाय।
पेंशन तथा अनुदान स्वीकृत करने का तरीका तथा अधिकार	3–	(1) इन नियमों के अधीन कोई पेंशन या अनुदान इन नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। (2) नियम 12 को छोड़ कर इस नियमावली के अधीन स्वीकृत होने वाली सभी पेंशनों तथा अनुदानों को स्वीकृत करने का अधिकार शासन के प्रशासकीय विभाग को होगा। नियम 12 के अधीन स्वीकृत शासन के वित्त विभाग की सहमति से अन्यथा न दी जा सकेगी। (3) स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन का भुगतान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा जारी किये गये पेंशन प्राधिकार पत्र पर होगा। अनुदान की धनराशि के आहरण एवं भुगतान हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी और इसका भुगतान जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक सत्यापन के पश्चात् सीधे ही कर दिया जायेगा। (4) जिला मजिस्ट्रेट इस सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 1 के पैरा 209 (शुद्धि पत्र संख्या 422 व 423 द्वारा संशोधित) में उल्लिखित नियमों का पालन करेंगे तथा उक्त नियम द्वारा निर्धारित अनुदान रजिस्टर रखने के उत्तरदायी होंगे।

		(5) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के उपरान्त यदि उसकी पेंशन अथवा अनुदान की कोई धनराशि भुगतान करना अवशेष रह जाय तो उसका भुगतान, यदि सम्बन्धित सेनानी ने कोई वसीयत नहीं की है, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को अथवा सेनानी द्वारा लिखित वसीयत के अनुसार कर दिया जायेगा।
	4–	(1) नियम 2 के खण्ड (ड.) में उल्लिखित शर्तो के अधीन रहते हुए किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जैसी भी स्थिति हो, नियम 5 (क) में उल्लिखित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा आवेदन देने पर ऐसी धनराशि की पेंशन स्वीकृत की जा सकेगी जो शासन इस सम्बंध में उचित समझे। (2) स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने की पात्रता को सम्बन्धित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, उसके द्वारा किसी अन्य सरकारी पेंशन का ग्रहण करना अथवा किसी सरकारी या गैर सरकारी विभाग संगठन या संस्था के अधीन पद ग्रहण करना या सेवायोजन बाधित नहीं करेगा।
स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन	5–	(क) किसी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु पर जो इस नियमावली के अधीन स्वतंत्रता पेंशन पा रहा हो उक्त पेंशन या उसके लिये तत्काल निर्धारित न्यूनतम धनराशि जो भी अधिक हो, स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन के रूप में उसके परिवार के पात्र सदस्य को दी जा सकेगी। इस शर्त के सर्वथा अधीन रहते हुए कि एक समय में एक से अधिक व्यक्ति इसका हकदार न होगा उक्त पात्रता का उत्तरोत्तर क्रम इस प्रकार होग, अर्थात सर्वप्रथम विधवा जो इसे मृत्यु या पुनर्विवाह तक पा सकेगी। तत्पश्चात् ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क पुत्र यदि कोई हो, और यह क्रम जीवित अवयस्क पुत्रों तक चलता रहेगा जो इसे 18 वर्ष की आयु तक पा सकेंगे। इसके पश्चात् ज्येष्ठतम जीवित अवयस्क एवं अविवाहित पुत्री जो इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक जो भी पहले घटित हो, पा सकेगी आदि यदि कोई दूसरी अविवाहित पुत्री हो तो इसके पश्चात वह भी इसे विवाह या 21 वर्ष की आयु तक जो भी पहले घटित हो, पा सकेंगी। यह क्रम अविवाहित पुत्रियों तक इसी प्रकार चलता रहेगा। पारिवारिक पेंशन, पात्र व्यक्ति को, पेंशन पा रहे सेनानी की मृत्यु के दिनांक के दूसरे दिन से देय होगी।

		टिप्पणी :– (1) उपरोक्त संशोधन दिनांक 25 फरवरी, 1972 से लागू माना जायेगा। (2) उन मामलों में जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की दो या अधिक विधवायें हों, उपर्युक्त पेंशन अनुपात के अनुसार बराबर बांट दी जायेगी परन्तु इस प्रकार के मामलों में पेंशन वृद्धि के लिये आवेदन पत्र शासन द्वारा स्वीकृत नहीं किये जा सकेंगे। (ख) खण्ड (क) में किसी भी बात के होते हुए शासन को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु के पश्चात् जिसने अपने जीवन काल में स्वतंत्रता संग्राम पेंशन न प्राप्त की हो, उसके परिवार के पात्र सदस्य को उपर्युक्त धनराशि की जो नियम 2 (ङ) में स्वतंत्रता संग्राम पेंशन के हवाले से वर्णित न्यूनतम तथा अधिकतम सीमाओं के अन्दर रहेगी, स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दें।
अनुदान के लिये पात्रता	6–	स्वतंत्रता संग्राम के किसी सेनानी या उसके परिवार के किसी सदस्य का नियम 2 (घ) में निर्दिष्ट किसी एक या उससे अधिक प्रयोजनों के लिये, जिसमें इन प्रयोजनों के हेतु लिये गये ऋण की अदायगी भी सम्मिलित है, सरकार द्वारा अनुदान दिया जा सकता है। **स्पष्टीकरण :–** सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन के साथ–साथ तथा एक से अधिक वसरों पर भी अनुदान दिया जा सकता है।
स्वतंत्रता संग्राम पेंशन बन्द करना	7–	(1) इस नियमावली के अधीन स्वीकृत स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम पारवारिक पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकती है। (2) उपनियम (1) के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, स्वतंत्रता संग्राम पेंशन अथवा स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन निम्नलिखित आधार पर भी किसी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है :– 1–अनैतिक अपराध तथा अराष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने के कारण,

		2–किसी भी जुर्म (राजनैतिक सजाओं को छोड़कर जिसमें कि राजनैतिक जुलूस में धारा 144 के उल्लंघन आदि के लिये मिली सजा भी सम्मिलित होगी) पर दण्डित होने के कारण। 3–नियम 2(क) के नीचे टिप्पणी (6) में उल्लिखित अपात्रता जिसके बाबजूद गलत ढंग से पेंशन प्राप्त कर ली गयी हो।
स्वतंत्रता संग्राम पेंशन का संक्रमण या राशिकरण नहीं किया जा सकेगा	8–	इस नियमावली के अधीन स्वीकृत स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन का संक्रमण अथवा राशिकरण नहीं किया जा सकेगा और ऐसी पेंशन पाने वाला व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता संग्राम पेंशन की प्रतिभूति पर कोई ऋण या अग्रिम धनराशि नहीं लेगा।
स्वतंत्रता संग्राम पेंशन में अनुदान हेतु आवेदन पत्र देने की रीति	9–	(क) इस नियमावली के अधीन स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन या अनुदान की स्वीकृति के लिये आवेदन पत्र अनुलग्न में दिये गये प्रपत्र में जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से या शासन को सीधे भेजा जा सकता है। (ख) आवेदक को अपनी भोगी गयी यातनाओं के समर्थन में निर्धारित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण भी प्रस्तुत करना चाहिए :– (1) सम्बन्धित जेल अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र या, (2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर किन्हीं दो भूतपूर्व या वर्तमान संसद सदस्य अथवा विधायक, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के सम्बन्ध में प्रार्थी के साथ जेल गये हों, अथवा दो ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनको स्वतंत्रता संग्राम पेंशन स्वीकृत हो चुकी हो और जो आवेदक के साथ सहबंदी (कोप्रिजनर) रहे हों, उनके प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जायें जिसमें भोगी गयी जेल की अवधि निर्दिष्ट हो, या (3) उपरोक्त (1) तथा (2) में उल्लिखित प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (एफीडेविट) और जहां नोटरी प्रथ न हो वहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र जिसमें भोगी गयी सजाओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण उल्लेख हो। शपथ पत्र के साथ जिलाधिकारी की संस्तुति होनी चाहिए जो मौके की पूरी जांच

		के बाद अंकित की जाय और यह जांच परगनाधिकारी स्वयं मौके पर जाकर करेंगे। ऐसे मामलों में स्वतंत्रता संग्राम पेंशन अथवा अनुदान गुणावगुण (मेरिट) पर विचार करके ही स्वीकार की जायेगी। **नोट** :– जिलाधिकारी की संस्तुति प्राप्त करने में विलम्ब न हो, इसलिये ऐसे मामलों में जिलाधिकारी को अर्द्ध शासकीय पत्र लिखकर उनसे 15 दिन के अन्दर रिपोर्ट देने का अनुरोध किया जायेगा। **(4) घोषित फरार/भूमिगत रहने की पुष्टि में प्रमाण** :– आवेदक को एक फरार के रूप में घोषित करने, उसकी मरने अथवा गिरफतारी के लिये पुरस्कार घोषित करने अथवा नजरबंद करने से सम्बन्धित न्यायालय सरकार के आदेशों का दस्तावेजी प्रमाण होना आवश्यक होगा। **(5) नजरबंदी अथवा निष्कासन की पुष्टि में प्रमाण** :– उपरोक्त (1), (2) तथा (3) में उल्लिखित प्रमाण उपलब्ध न होने पर नजरबंदी अथवा निष्कासन के आदेशों की एक प्रतिलिपि पुष्टि हेतु या अन्य कोई दस्तावेजी प्रमाण होना आवश्यक होगा बशर्ते की उन्होंने नजरबंदी या निष्कासन के आदेशों की अवहेलना की हो। **(6) गलत नाम, पिता का गलत नाम तथा गलत पते के सम्बन्ध में प्रमाण** :– ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने गिरफतारी/सजा के समय अपना तथा अपने पिता का गलत नाम या गलत पता दिया हो की पुष्टि में ऐसे दो भूतपूर्व अथवा वर्तमान संसद सदस्य अथवा विधायक से जो आवेदक के साथ स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में जेल में रहे हों और जो स्पष्टतः आवेदक की पहचान को प्रमाणित करते हों, प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। **(7) बेंतों की सजा के सम्बन्ध में प्रमाण** :– बेंतों की सजा के समर्थन में न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि और सम्बन्धित व्यक्ति का नोटरी द्वारा और जहां नोटरी प्रथा न हो वहां प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (एफीडेविट) जिसमें भोगी गयी बेंतों की सजा का दिनांक तथा स्थान का पूर्ण उल्लेख हो, मान्य होगा। नोटरी के शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसका सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा उपरोक्त नियम 9(ख) (3) में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार कराया जायेगा।

		(8) सम्पत्ति के जब्त अथवा कुर्की किये जाने तथा नौकरी से हटाने की पुष्टि में प्रमाण :– सम्पत्ति के जब्त अथवा कुर्की किये जाने तथा नौकरी से हटाये जाने सम्बन्धित आदेशों का दस्तावेजी प्रमाण मान्य होगा। (ग) आवेदन पत्र के प्रपत्र में आवेदक तथा ऐसे स्वतंत्रता संग्राम पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने प्रमाण पत्र दिये हों, के हस्ताक्षरों का सत्यापन किसी भूतपूर्व अथवा वर्तमान संसद सदस्य अथवा भूतपूर्व अथवा वर्तमान विघायक जो कि आवेदक के साथ जेल में रहे हों, राजपत्रित अधिकारी या मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्राधानाध्यापकों या नोटीफाइड एरिया कमेटी/टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष/सदस्य एवं गांव सभा के प्रधान के द्वारा किया जा सकेगा। (घ) किसी भी प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा जांच करायी जा सकेगी।
	10–	जो व्यक्ति ऐसे विवरण या प्रमाण पत्र के आधार पर जो गलत पाये गये स्वतंत्रता संग्राम पेंशन/पारिवारिक पेंशन अथवा अनुदान प्राप्त करेगा या प्राप्त किया हो अथवा प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र दिया हो या कोई स्वयं प्रमाण पत्र दिया हो जो गलत पाया जाय तो उसके द्वारा शासन के साथ किये गये अनुबन्ध के आधार पर उसे प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकृत पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा पेंशन और अनुदान के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि भू–राजस्व के बकाये के रूप में उससे तथा गलत प्रमाण पत्र देने वाले व्यक्ति से वसूल की जा सकेगी तथा गलत प्रमाण पत्र देने वाले को यदि स्वतंत्रता संग्राम पेंशन अथवा अनुदान मिला हो तो उसके द्वारा शासन के साथ किये गये अनुबंध के आधार पर उसकी पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताये अथवा नोटिस दिये निरस्त की जा सकेगी तथा उसकी पेंशन तथा अनुदान के रूप में उसके द्वारा प्राप्त की गयी धनराशि उससे भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त उसके विरूद्ध कठोरतम कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।

		टिप्पणी :– भोगी गई सजा की पुष्टि में प्रमाण पत्र देने वाले के लिये यह भी अनिवार्य होगा कि वे प्रमाण पत्र के साथ शासन के साथ एक अनुबंध करें कि यदि उनके द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र में कोई विवरण गलत सिद्ध होता है या मिथ्या कथन है तो शासन को अधिकार होगा कि उनकी स्वतंत्रता संग्राम पेंशन किसी भी समय बिना कोई कारण बताया अथवा नोटिस दिये निरस्त कर दे और जो भी धनराशि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम पेंशन अथवा अनुदान के रूप में दी गयी हो वह भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।
	11–	जो आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट को जांच के लिये जायें या जो आवेदन पत्र उनके माध्यम से शासन के प्रेषित किये जायें उनके सम्बन्ध में उक्त जिला मजिस्ट्रेट आवश्यक जांच कराकर अपनी आख्या एवं संस्तुति के साथ शासन को एक मास के अन्दर अवश्य ही भेज देंगे।
विशेष दशा में पेंशन या अनुदान स्वीकृत करने का अधिकार	12–	इस नियमावली में किसी बात के होते हुए सरकार किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, स्वतंत्रता संग्राम में उसके सेवा कार्य को देखते हुए "स्वतंत्रता संग्राम पेंशन" "स्वतंत्रता संग्राम पारिवारिक पेंशन" या "अनुदान" स्वीकृत कर सकती है।

प्रपत्र जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा स्वतंत्रता संग्राम पेंशन/अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र दिया जायेगा।

(इस प्रार्थना–पत्र को भरने से पूर्व प्रार्थना–पत्र के अंत में लिखे आवश्यक नोट को पढ़कर ही प्रार्थना–पत्र भरें)

1– प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम ....

2– प्रार्थी/प्रार्थिनी के पिता/पति का नाम ....

3– प्रार्थी/प्रार्थिनी का पूरा स्थायी पता ....

4– तिथि जब से प्रार्थी/प्रार्थिनी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं ....

5– प्रार्थी/प्रार्थिनी के पति द्वारा भारतीय संग्राम में भाग लेने के कार्य कलापों का विवरण:–

(1) जेल यात्रा, नजरबंदी या अन्डर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में रहने का विवरण :–

जेल जाने और मुक्त होने की तिथि तथा अवधि   स्थान   दफा

(2) यदि बेतों की सजा भोगी हो, तो उसका विवरण :–

बेतों की संख्या   स्थान   दफा

(3) यदि फरार घोषित किये गये हों, गोली से घायल हुए हों तथा वीरगति प्राप्त की हो तो उसका विवरण :–

(क) प्राधिकारी जिसने फरार घोषित किया, उसका पद तथा पूरा पता

....

....

(ख) तिथि, जिस पर फरार घोषित किये गये ....

6– ऊपर मद 5 में दिये हुए विवरण की पुष्टि का प्रमाण ....

मैं/हम निजी जानकारी पर प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रार्थी द्वारा ऊपर मद 5 में दिये हुये विवरण सही है : प्रमाणकर्ता व्यक्तियों के हस्ताक्षर पद तथा पूरे पते –

(1) ....

....

....

(2) ....

....

....

नोट :— मद 6 का प्रमाण—पत्र भूतपूर्व या वर्तमान दो विधायकों/संसद सदस्यों जो प्रार्थी के साथ स्वतंत्रता संग्राम के सम्बन्ध में जेल गये हों या दो स्वतंत्रता संग्राम पेंशन प्राप्तकर्ताओं जो प्रार्थी के साथ सहबंदी रहे हों, द्वारा दिया जा सकता है।

(यदि प्रमाणकर्ता संग्राम पेंशन प्राप्तकर्ता है तो उनके नाम, पते तथा पेंशन प्राधिकार पत्र संख्या तथा दिनांक तथा उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन)

7— यदि भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के या इण्डिया इन्डिपेंडेंस लीग के सदस्य हों तो उसका प्रमाण—पत्र संलग्न करें।

8— यदि प्रार्थी को केन्द्र तथा राज्य सरकार से पूर्व में कोई पेंशन या सहायता मिली हो तो उसके विवरण ....

9— यदि मासिक पेंशन के अलावा प्रार्थी अनुदान प्राप्त करना चाहें तो सम्बन्धित प्रयोजनों का विवरण ....

10— प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण—पत्र के संदर्भ में :—

जिला मजिस्ट्रेट / जेल अधीक्षक का प्रमाण—पत्र

राज्य सभा/ लोक सभा/ विधार परिषद अथवा विधान सभा के सदस्यों के प्रमाण—पत्र, या किन्हीं दो स्वतंत्रता संग्राम पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रमाण—पत्र

11— परिवार के सदस्यों के विवरण :—

नाम	आय	सम्बन्ध

12— क्या प्रार्थी ने कभी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के दौरान या बाद में दण्डित होने के बचने के लिये माफी मांगी/यदि हां, तो उसके विवरण ....

....

....

प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा शपथ—पत्र

मैं सत्य निष्ठापूर्वक यह शपथ लेता/लेती हूँ कि उपरोक्त विवरण पूर्णतया सही है, यदि कोई विवरण गलत सिद्ध हो, तो शासन को अधिकार होगा कि मेरी स्वतंत्रता संग्राम पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि मुझे स्वतंत्रता संग्राम पेंशन या अनुदान के रूप में दी गई है वह भूमि कर के बकाये की तरह वसूल कर ली जाय।

दिनांक ....

प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर या
निशान अंगूठा

प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि श्री/श्रीमती ....
पुत्र/पत्नी श्री .... जिन्होंने मेरे सम्मुख हस्ताक्षर किया/निशान अंगूठा लगाया, को भली–भांति जानता हूँ। इनका दिमाग सही हालत में है/नहीं है। उनके शिनाख्त का शारीरिक चिन्ह निम्नलिखित है :–

दिनांक ....

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर

पद व पूरा पता ....
....
....

आवश्यक नोट :–

(1) फार्म साफ–साफ अक्षरों में भरा होना चाहिए।

(2) फार्म में दी हुयी सूचना की सत्यता की जिम्मेदारी प्रार्थी पर है। सूचना के आंशिक रूप में असत्य होने पर फार्म तुरन्त खारिज कर दिया जायेगा।

(3) जो प्रमाण–पत्र देगा वही जामिन समझा जायेगा।

(4) जो व्यक्ति मद (5) के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में असमर्थ हों वे एक नोटरी का हलफनामा प्रस्तुत कर सकते हैं।

(5) उल्लिखित प्रमाण–पत्र जिला मजिस्ट्रेट, लोक सभा, राज्य सभा, उत्तर प्रदेशीय विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य अथवा गजटेड सरकारी अधिकारी के द्वारा होना चाहिए।

(6) आवेदक तथा ऐसे स्वतंत्रता संग्राम पेंशन पाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, जिन्होंने प्रमाण–पत्र दिये हों, के हस्ताक्षरों के सत्यापन किसी विधायक, संसद सदस्य, राजपत्रित अधिकारी या मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों या नोटीफाइड एरिया कमेटी/टाउन एरिया कमेटी के अध्यक्ष/सदस्य एवं गांव सभा प्रधान द्वारा दिया जा सकेगा।

(7) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सेनानी या इण्डिया इन्डिपेंडेंस लीग के सदस्य होने के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र "अखिल भारतीय भू0पू0आ0हि0फौ0 पूंछतांछ एवं सहायता समिति, 82, दरियागंज, दिल्ली" द्वारा प्रदत्त होना चाहिए।

(8) भोगी गई सजा की पुष्टि में प्रमाण–पत्र देने वालों के लिये यह भी अनिवार्य होगा कि वे प्रमाण–पत्र के साथ–साथ एक अनुबन्ध करें कि यदि उनके द्वारा दिये गये

प्रमाण–पत्र में कोई गलत सिद्ध होता है या मिथ्या कथन है तो शासन को अधिकार होगा कि उनकी स्वतंत्रता संग्राम पेंशन बन्द कर दें और जो भी धनराशि उन्हें स्वतंत्रता संग्राम पेंशन अथवा अनुदान के रूप में दी गई हो वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूल कर लें।